26/6/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर भी ना तो वकील वादी हाजिर और ना ही वादी स्वयं हाजिर। अतः दावा-स्थाई निषेधाज्ञा, शून्य करने बाबत विक्रय पत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिका.
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)